राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

महत्वपूर्ण

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2019/3970 भोपाल,दिनांक 04/04/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स भोपाल, म.प्र.।
4. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा म.प्र.

विषय :– वर्ष 2019–20 में पोषण–पुनर्वास केन्द्रों, चिकित्सा महाविद्यालयीन एस.एम.टी.यू./एन.आर.सी. तथा स्मार्ट यूनिट, एम्स भोपाल के संचालन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश।

.....

शिशु स्वास्थ्य –पोषण, वर्ष 2019–20/परिपत्र क्रमांक –1

विषयांतर्गत लेख है कि, बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु, गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र, 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में गंभीर कुपोषण उपचार ईकाई तथा अत्याधिक जटिल बच्चे विशेषकर नॉन–रिस्पॉडर सैम बच्चों के उन्नत निदान एवं प्रबंधन हेतु 1 Severe acute Malnutrition Advanced Referral and Treatment (SMART) यूनिट संचालित किये जा रहे है। इन स्थापित केन्द्रों में गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं की प्रदायगी एवं शत–प्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित किया जाना है।

वर्ष 2019–20 में, पोषण पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नानुसार होंगे –

क्र.	गतिविधि का विवरण	यूनिट राशि (रु. में)	कुल राशि (रु. में)
	पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपचार हेतु वित्तीय प्रावधान		
1	प्रेरक हेतु प्रोत्साहन राशि	100	100
2	भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चे के भोजन हेतु	70 प्रति दिन **(औसत 14 भर्ती दिवस के मान से आंकलन)**	980
3	माताओं के लिए मजदूरी क्षतिपूर्ति भत्ता	120 प्रति दिन **(औसत 14 भर्ती दिवस के मान से आंकलन)**	1680
	कुल		**2760/–**
	4 फॉलो–अप हेतु वित्तीय प्रावधान		
4	प्रेरक हेतु प्रोत्साहन राशि	200	800
5	बच्चों के टेक अवे स्नेक्स हेतु	35	140
6	अन्य व्यय (मौसमी साग–सब्जी – लोकी, गिल्की, सेम, कद्दू, टमाटर, मूंगाफली/ सेजनफली आदि के बीजों के पैकेट वितरण हेतु)	10	10
	कुल व्यय राशि		**950/–**

- उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार प्रति गंभीर कुपोषित बच्चे के प्रबंधन हेतु आंकलित राशि रु. 3710/– का व्यय किया जा सकता है। जिसका विभाजन निम्नानुसार है–
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपचार हेतु वित्तीय प्रावधान – राशि रु. 2760/–
  - 4 फॉलो–अप हेतु वित्तीय प्रावधान – राशि रु. 950/–
- चिकित्सकीय जटिलता युक्त अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में बच्चों को चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप 14 दिन से अधिक भर्ती रहने की स्थिति में तालिका में दर्शाये पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती अवधि के वित्तीय प्रावधान अनुसार व्यय किया जा सकता है।
- पोषण पुनर्वास में उपचार हेतु निर्धारित राशि में से भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चे के भोजन हेतु निर्धारित राशि रु. 980/– की बुकिंग एफ.एम.आर. कोड. 1.3.1.4 Management cost of SAM children at NRC" में की जाये।
- माताओं के मजदूरी क्षतिपूर्ति भत्ते हेतु निर्धारित प्रोत्साहन राशि रु. 1680/– की बुकिंग एफ.एम.आर. कोड. 1.3.1.4 Treatment cost of SAM children at NRC(Beneficiary Payment)" में की जाये।
- इसी प्रकार प्रेरक हेतु निर्धारित प्रोत्साहन राशि रु. 100/– की बुकिंग एफ.एम.आर. कोड. 1.3.1.4 Treatment cost of SAM children at NRC(Beneficiary Payment) में की जाये। इस हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा, ए.एन.एम, आर.बी.एस.के. चिकित्सा अधिकारी, संस्था चिकित्सक अथवा सामुदायिक प्रेरक को वेंडर बनाकर भुगतान सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्थिति में Beneficiary Payment को लंबित नहीं रखा जाये। लंबित भुगतान की सूचना राज्य स्तर पर प्राप्त होने पर संबंधित संस्थान के लेखापाल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- फॉलोअप हेतु प्रेरक को राशि रु. 200/– प्रति फॉलोअप देय होगी, जिसकी बुकिंग एफ.एम.आर. कोड. 3.1.1.1.5 Incentive for referral of SAM cases to NRC and for follow up of discharge SAM children from NRCs" में की जाये।
- बच्चों के टेक अवे स्नेक्स हेतु राशि रु. 140/– प्रति बच्चे तथा मौसमी सब्जियों के बीज वितरण हेतु राशि रु. 10/– प्रति बच्चे के मान से व्यय किया जाय एवं वित्तीय बुकिंग Follow-up expenses of SAM" में की जाये। टेक अवे स्नैक्स एवं मौसमी सब्जियों के बीज वितरण हेतु पोषण प्रशिक्षक को वेण्डर बनाकर, 1 माह हेतु अग्रिम राशि दी जाये। उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश अनुरूप अग्रिम राशि के विरूद्ध व्यय के प्रमाणित भुगतान व्हाउचर प्राप्ति पर ही आगामी माह हेतु राशि जारी की जाये।
- गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवहन हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है, इस हेतु निःशुल्क परिवहन प्रणाली यथा 108 अथवा जननी एक्सप्रेस का सर्वथा उपयोग किया जाये।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र से बच्चे की छुट्टी के लिये निर्धारित मापदण्डों का सर्वथा पालन किया जाए, अर्थात यदि बच्चे में चिकित्सकीय जटिलता का समुचित उपचार सुनिश्चित किया गया हो, पैरो में सूजन उतर गई हो, आयु के अनुसार बच्चे का टीकाकरण पूर्ण हो तथा अस्पताल में भर्ती अवधि के दौरान न्यूनतम 5 ग्राम प्रति किलो प्रतिदिन के मान से विगत 3 दिनों से वजन वृद्धि परिलक्षित हो रही हो तो बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।
- जटिल बच्चों में कई बार 14 दिवस में सुधार नहीं होता ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय आवश्यकतानुसार भर्ती अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उपरोक्त परिपत्र दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रभावशील होगी।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त सह मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2019/ भोपाल,दिनांक /04/2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. उपसंचालक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिश्यिेटिव, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला NRC MO, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
10. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।
11. समस्त विकासखण्ड लेखा प्रबंधक।

आयुक्त सह मिशन संचालक,
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश